

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 में नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

**उजवान**

ब इजलास श्री सुरेश राव (आर.ए.एस.)

राजपाल बनाम् प्रदीप कुमार वगैरह

दावा बाबत्- 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नं.-64/2025

जी सी एम एस नं.-2025/124

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू पक्षकारान बहाजरी वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के मध्य हुए बंटवारा दिनांक 11.08.2025 व राजीनामा चक 2 पी जी एम(ए) तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.-20 पत्थर सं.-272/447 के किला नं.-4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15 प्रत्येक का 0.253, 17/2 का 0.126, 18/2 का 0.126, 24, 25 प्रत्येक का 0.253 हैक्टर कुल भूमि 2.782 हैक्टर अनकमाण्ड खातेदारी भूमि रकबा का खाता विभाजन को मध्यनजर रखते हुए निम्नलिखित प्रकार से अंतिम डिक्री जारी की जाकर निर्णित किया जाता है-

क्र.सं	नाम खातेदार	मु.नं. व प.नं.	किलानम्बर	रकबा कुल (हे. में)	विशेष विवरण
1	वादी राजपाल पुत्र प्रेमकुमार	M.N.20 P.N. 272/447	किला नं.-5 का 0.253, 6 का 0.253, 14 का 0.168, 15 का 0.253 हैक्टयर अनकमाण्ड	0.927	-
2	प्रतिवादी सं.-1 प्रदीप कुमार पुत्र प्रेमकुमार	M.N.20 P.N. 272/447	किला नं.-4 का 0.253, 7 का 0.253, 8 का 0.253, 13 का 0.169 हैक्टयर अनकमाण्ड	0.928	-
3.	प्रतिवादी सं.-2 मुन्नी देवी पत्नी प्रेम कुमार	M.N.20 P.N. 272/447	किला नं.-13 का 0.084, 14 का 0.085, 17 का 2 0.126, 18/2 का 0.126, 24 का 0.253, 25 का 0.253 हैक्टयर अनकमाण्ड	0.927	-

तदनानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती हैं एवं वादी एवं प्रतिवादी सं.- 1 व 2 के मध्य खाता विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने हेतु प्रतिवादी सं.-3 तहसीलदार

अनूपगढ़ को आदेश दिये जाते हैं। उक्त खाता में वादी एवं प्रतिवादी सं.-1 व 2 के बैंक ऋण का नोट अंकित हैं जो बाद किला विभाजन यथावत रहेगा।

यह डिक्री आज तारीख 11.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



सुरेश राव  
अनूपगढ़ अधीक्षक  
अनूपगढ़

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रुपया	1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रुपया
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	
4. ....रुपये पर प्लीडर की फीस		4. ....रुपये पर प्लीडर की फीस	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका का तामील		7. आदेशिका का तामील	
<b>जोड़</b>		<b>जोड़</b>	